

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव (छ.ग.)

:: दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 ::

क्रमांक क/स्टेनो/मु.न्या.मजि./2025

राजनांदगाँव, दिनांक 20.01.2025

मैं भूपत सिंह साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगाँव दांडिक कार्य विभाजन से संबंधित पूर्व के समस्त आदेशों को, विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण हो जाने के कारण, निरस्त करते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) एवं 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025 के लिए राजस्व जिला राजनांदगाँव में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य दांडिक कार्यों का विभाजन निम्नानुसार करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजनांदगाँव के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा –

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य विभाजन
1	2	3	4
01	भूपत सिंह साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगाँव (छ.ग.)	(1) सिटी कोतवाली राजनांदगाँव एवं उसकी चौकी चिखली (2) लालबाग एवं उसकी चौकी तुमड़ीबोड़ तथा चौकी सुकुलदैहान (3) यातायात थाना राजनांदगाँव एवं (4) जी.आर.पी. राजनांदगाँव	(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 354, 354 (ए,बी,सी,डी), 363, 376, 509 एवं 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना। (2) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (3) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। (4) राजस्व जिला राजनांदगाँव के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। (5) आबकारी वृत्त राजनांदगाँव उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं ग्रामीण तथा आबकारी वृत्त चिचोला से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (6) राजस्व जिला राजनांदगाँव के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों (डोंगरगढ़ क्षेत्र को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले ऐसे अपराध जिनमें किसी भी रासायनिक

			<p>पदार्थ प्रयुक्त हो, के अभियोग पत्र प्रस्तुत होंगे ।</p> <p>(7) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले (i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(8) राजस्व जिला राजनांदगाँव के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों (डोंगरगढ़ क्षेत्र को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले (i) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, (iii) नगर पालिका अधिनियम, (iv) वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, (v) चलचित्र अधिनियम तथा अन्य स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के अपराध से संबंधित अभियोग पत्र, इशतगासा प्रस्तुत होंगे ।</p> <p>(9) राजस्व जिला राजनांदगाँव के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले ईनामी एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंद) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत मामले का निराकरण करना ।</p> <p>(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव द्वारा समय-समय पर सौंपे गए समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना।</p>
02	श्रीमती रुचि मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	-	मातृत्व अवकाश पर हैं । अतः उनके कार्य पर उपस्थित होने पर माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगाँव के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करेंगे ।
03	श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	(1) गैंदाटोला (2) बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 354, 354 (ए,बी,सी,डी), 363, 376, 509 एवं 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों (05 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों</p>

			<p>से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण एवं धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले (i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(7) माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
04	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव(छ.ग.)	(1) आरक्षी केन्द्र बसंतपुर एवं उसकी चौकी सुरगी	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों (05 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण एवं धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले (i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p>

		<p>(1) आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, राजनांदगाँव एवं उसकी चौकी चिखली, (2) लालबाग, एवं उसकी चौकी तुमड़ीबोड़ तथा चौकी सुकुलदैहान (3) बसंतपुर एवं उसकी चौकी सुरगी, (4) डोंगरगाँव (5) सोमनी, (6) घुमका (7) जी.आर.पी. राजनांदगाँव, (8) तेलकाडीह (राजस्व तहसील राजनांदगाँव के अंतर्गत आने वाले 25 गाँव) (9) गैंदाटोला, (10) छुरिया एवं उसकी चौकी जोब तथा चौकी चिचोला (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर) (11) बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर)</p>	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 354, 354 (ए,बी,सी,डी), 363, 509 एवं 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) के अंतर्गत के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (2) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 64 से 71 भारतीय न्याय संहिता के प्रकरणों का रिमांड संबंधी कार्यवाही करते हुए विधि एवं प्रक्रिया अनुसार माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित करना। (3) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से धारा 354, 354-ए,बी,सी,डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के परिवाद एवं धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना। (4) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों (डोंगरगाँव, छुरिया, पुलिस चौकी जोब एवं पुलिस चौकी चिचोला (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर) को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
05	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव	(1) आरक्षी केन्द्र डोंगरगाँव	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 354, 354 (ए,बी,सी,डी), 363, 376, 509 एवं 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना। (2) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों (05 बल्क लीटर से अधिक के</p>

			<p>प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण एवं धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले (i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(7) माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
06	श्री मनीष कुमार ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	(1) सोमनी (2) आर.टी.ओ. राजनांदगाँव	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 354, 354 (ए, बी, सी, डी), 363, 376, 509 एवं 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों (05 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण एवं धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना ।</p>

			<p>(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले (i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(7) माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
07	श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव(छ.ग.)	(1) आरक्षी केन्द्र छुरिया एवं उसकी चौकी चिचोला (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्धृत मामलों को छोड़कर) तथा चौकी जोब	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 354, 354 (ए,बी,सी,डी), 363, 376, 509 एवं 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों (05 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के साथ आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली एवं पुलिस चौकी चिखली से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के साथ आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली एवं पुलिस चौकी चिखली से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण एवं धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले (i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(7) माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक</p>

			मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
08	कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव(छ.ग.)	(1) आरक्षी केन्द्र घुमका	(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 354, 354 (ए,बी,सी,डी), 363, 376, 509 एवं 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना । (2) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों (05 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना । (3) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के साथ आरक्षी केन्द्र लालबाग, पुलिस चौकी तुमडबोड़ एवं पुलिस चौकी सुकुलदैहान से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना । (4) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के साथ आरक्षी केन्द्र लालबाग, पुलिस चौकी तुमडबोड़ एवं पुलिस चौकी सुकुलदैहान से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण एवं धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना । (5) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना । (6) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले(i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना । (7) माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
09	कु. योगिता कुंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव(छ.ग.)	(1) ठेलकाडीह (राजस्व तहसील राजनांदगाँव के अंतर्गत आने वाले 25 गाँव)	(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 354, 354 (ए,बी,सी,डी), 363, 376, 509 एवं 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं

			<p>भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों (05 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना ।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण एवं धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले (i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(7) माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
10	श्री शैलेश कुमार वशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ़, जिला राजनांदगाँव(छ.ग.)	<p>(1) आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ़ एवं उसकी पुलिस चौकी मोहारा</p> <p>(2) जी.आर.पी. डोंगरगढ़</p> <p>(3) आरक्षी केन्द्र टेलकाडीह (राजस्व तहसील डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले 08 गाँव)</p> <p>(4) आरक्षी केन्द्र बोरतलाव,</p> <p>(5) बागनदी</p> <p>(6) पुलिस चौकी</p>	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक -3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(2) आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण करना।</p>

	चिचोला (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामले)	(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के मामलों का निराकरण करना ।
		(6) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना ।
		(7) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परिवाद एवं धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना ।
		(8) डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे अपराध जिनमें किसी भी रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त हो, के अभियोग पत्र प्रस्तुत होंगे ।
		(9) डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (i) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, (iii) नगर पालिका अधिनियम, (iv) वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, (v) चलचित्र अधिनियम तथा अन्य स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के अपराध से संबंधित अभियोग पत्र, इश्तगासा प्रस्तुत होंगे ।
		(10) स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले (i) नापतौल अधिनियम (ii) दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।
		(11) माननीय सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव द्वारा समय-समय पर सौंपे गए समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।

आवश्यक निर्देश -

- (1) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।
- (2) अन्य किसी प्रकार की शंका की स्थिति उत्पन्न (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) होने की दशा में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे ।
- (3) राजनांदगाँव मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य स्थानों में पदस्थ संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से विशिष्टतः न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्र में माह में एक बार माननीय

सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए, जो दैनिक न्यायालयीन कार्य को प्रभावित किए बिना किया जावेगा, चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

- (4) धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियों को **परिशिष्ट-ए** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे।
- (5) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय कार्य पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य जिसमें रिमांड, वारंट निरस्तीकरण, सुपुर्दनामा आवेदन का निराकरण जमानत आवेदन पत्र का निराकरण एवं त्वरित सुनवाई के आवेदन पत्र का निराकरण, **परिशिष्ट-बी** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।
- (6) एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जप्त सामाग्री का इन्वेंटरी **परिशिष्ट -सी** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।
- (7) अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय के थाना क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले का अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण शामिल नहीं है, परंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं धारा 281, 125 भारतीय न्याय संहिता एवं सहपठित मोटर यान अधिनियम के ऐसे प्रकरण जिसमें अभियुक्त/आरोपी राजनांदगांव जिले से अन्य जिले का निवासी है अथवा छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्य का निवासी है और स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहता है मात्र उन्हीं प्रकरणों का अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा।
- (8) उपरोक्तानुसार निर्देश की कंडिका (7) के तहत निराकरण करते समय यह ध्यान रखा जावे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 514 (2) के उपबंधों की अवहेलना नहीं हो।
- (9) इस नवीन कार्य विभाजन अनुसार जो थाना क्षेत्र जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में प्राप्त हुआ है, उससे संबंधित रिमांड प्रपत्र अन्य न्यायालय में लंबित या अभियोग पत्र की प्रतीक्षा हेतु रखी गई हो तो उसे तत्काल संबंधित न्यायालय को सौंपी जावे।
- (10) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगाँव (छ.ग.) का न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, जिनका अत्यावश्यक कार्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री शैलेश कुमार वरिष्ठ), डोंगरगढ़ के द्वारा संपादित किया जाएगा।
- (11) स्थायी वारंट जारी करने वाले न्यायालय के बंद होने की दशा में, वर्तमान में उक्त थाना क्षेत्र जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्य विभाजन में प्रदत्त है उनके समक्ष स्थायी वारंट से गिरफ्तार किये गए अभियुक्त को पेश किया जावेगा।

राजनांदगाँव
दिनांक 20.01.2025

सही/-
(भूपत सिंह साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)

परिशिष्ट-ए

:: धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ ::

धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियाँ नीचे वर्णित अनुसार न्यायालय में दर्ज किए जावेंगे एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना विधिवत प्रेषित करेंगे-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	-
2	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	1) आरक्षी केन्द्र लालबाग, पुलिस चौकी तुमडीबोड़, पुलिस चौकी सुकुलदैहान, (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) । 2) आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ़, पुलिस चौकी मोहारा, जी.आर.पी. डोंगरगढ़ एवं आरक्षी केन्द्र ठेलकाडीह (राजस्व तहसील डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले 08 गाँव) से उत्पन्न होने वाले मामलों में
3	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	1) आरक्षी केन्द्र बसंतपुर, पुलिस चौकी सुरगी, जी.आर.पी. राजनांदगाँव, सोमनी एवं घुमका से उत्पन्न होने वाले मामलों में। 2) आरक्षी केन्द्र लालबाग, पुलिस चौकी तुमडीबोड़, पुलिस चौकी सुकुलदैहान से धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले मामलों में ।
4	श्री मनीष कुमार ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, राजनांदगाँव, पुलिस चौकी चिखली, आरक्षी केन्द्र डोंगरगाँव एवं अजाक से उत्पन्न होने वाले मामलों में (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)।
5	श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र ठेलकाडीह (राजस्व तहसील राजनांदगाँव के अंतर्गत आने वाले 25 गाँव) से उत्पन्न होने वाले मामलों में (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं

		धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) ।
6	कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	1) आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, राजनांदगाँव, पुलिस चौकी चिखली, आरक्षी केन्द्र डोंगरगाँव, अजाक से धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले मामलों में । 2) आरक्षी केन्द्र बोरतलाव, बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामले) से उत्पन्न होने वाले मामलों में।
7	कु. योगिता कुंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	1) आरक्षी केन्द्र छुरिया, पुलिस चौकी चिचोला एवं पुलिस चौकी जोब, गैदाटोला, बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामले को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले मामलों में। 2) आरक्षी केन्द्र ठेलकाडीह (राजस्व तहसील राजनांदगाँव के अंतर्गत आने वाले 25 गाँव) से धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 137(2), 64 से 71, 79 एवं 85 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों में ।

टीप :-

- (1) यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित हो तो **परिशिष्ट-बी** में उल्लेखित लिंक न्यायालय धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कथन एवं संस्वीकृतियाँ दर्ज करेंगे ।
- (2) नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में यदि लिंक न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार कथन या संस्वीकृतियाँ उस थाने से संबंधित हो तो उन्हें कार्य विभाजन आदेश के स्तम्भ-3 में प्राप्त हो तो उक्त थाना का कथन या संस्वीकृतियाँ द्वितीय/तृतीय लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जावेगा ।

राजनांदगाँव
दिनांक 20.01.2025

सही/-
(भूपत सिंह साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)

09	श्री शैलेश कुमार वशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ (छ.ग.)	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव	श्री मनीष कुमार ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव	श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव
----	--	---	--	---

टीप :-

- (1) नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में प्रभार लेने वाले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तदनुसार कार्य करेंगे।
- (2) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।
- (3) उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार प्रथम लिंक एवं द्वितीय लिंक के दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि अवकाश पर रहते हैं, तब अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने बाबत यदि शंकास्पद की स्थिति आती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक के तहत कार्य संपादन किया जावेगा।
- (3) न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा में लिंक न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023 दिनांक 23.11.2023 के निर्देशों का पालन करते हुए उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य लेखबद्ध करेंगे तथा अन्यथा की स्थिति में 03 दिवस से अनधिक की तिथि हेतु साक्षी को पाबंद करेंगे।
- (4) प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश की दशा में उनके अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन निम्नानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा -

क्रं.	प्रथम लिंक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम	द्वितीय लिंक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम	तृतीय लिंक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
1	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव	कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव	कु. योगिता कुंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव

राजनांदगाँव
दिनांक 20.01.2025

सही/-
(भूपत सिंह साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)

परिशिष्ट - सी

राजनांदगाँव जिला स्थापना में आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत के एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के तहत जप्तशुदा सामाग्री की इन्वेंट्री निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया जावेगा -

क्र.	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्रों के नाम
01	श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र छुरिया, पुलिस चौकी चिचोला एवं पुलिस चौकी जोब(किशोर न्याय बोर्ड के मामलों को छोड़कर)
02	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	1) आरक्षी केन्द्र लालबाग, पुलिस चौकी तुमडीबोड़, पुलिस चौकी सुकुलदैहान से उत्पन्न होने वाले मामलों में। 2) आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ़, पुलिस चौकी मोहारा, जी.आर.पी. डोंगरगढ़ आरक्षी केन्द्र ठेलकाडीह (राजस्व तहसील डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले 08 गाँव) से उत्पन्न होने वाले मामलों में।
03	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र बसंतपुर, पुलिस चौकी सुरगी, जी.आर.पी. राजनांदगाँव से उत्पन्न होने वाले मामलों में।
04	श्री मनीष कुमार ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, राजनांदगाँव, पुलिस चौकी चिखली, आरक्षी केन्द्र घुमका एवं अजाक से उत्पन्न होने वाले मामलों में।
05	श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	1) आरक्षी केन्द्र ठेलकाडीह (राजस्व तहसील राजनांदगाँव के अंतर्गत आने वाले 25 गाँव) से उत्पन्न होने वाले मामलों में। 2) आरक्षी केन्द्र बोरतलाव, बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामले) से उत्पन्न होने वाले मामलों में।
06	कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र डोंगरगाँव एवं सोमनी से उत्पन्न होने वाले मामलों में।
07	कु. योगिता कुंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	(1) आरक्षी केन्द्र छुरिया, पुलिस चौकी चिचोला एवं पुलिस चौकी जोब (किशोर न्याय बोर्ड के मामलों में) से उत्पन्न होने वाले मामलों में। (2) आरक्षी केन्द्र गैंदाटोला एवं बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामले को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले मामलों में।

टीप – इन्वेंट्री तैयार करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश की दशा में इस दांडिक कार्य विभाजन के परिशिष्ट-बी में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय लिंक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा, किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि दांडिक कार्य विभाजन आदेश में उन्हें आबंटित थाना न आता हो और यदि ऐसा होता है तो उनके अगले क्रम के लिंक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा ।

राजनांदगाँव

दिनांक 20.01.2025

सही/-
(भूपत सिंह साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)

परिशिष्ट-ए

:: धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों ::

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियां नीचे वर्णित अनुसार न्यायालय में दर्ज किए जावेंगे एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना विधिवत प्रेषित करेंगे-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	-
2	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र लालबाग, पुलिस चौकी तुमडीबोड़, पुलिस चौकी सुकुलदैहान से उत्पन्न होने वाले मामलों में (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता को छोड़कर)
3	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	1. आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र बसंतपुर, पुलिस चौकी सुरगी, जी.आर.पी. राजनांदगाँव, सोमनी, से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में। 2. आरक्षी केन्द्र लालबाग, पुलिस चौकी तुमडीबोड़, पुलिस चौकी सुकुलदैहान एवं घुमका से धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों में।
4	श्री मनीष कुमार ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, राजनांदगाँव, पुलिस चौकी चिखली, आरक्षी केन्द्र घुमका एवं अजाक से उत्पन्न होने वाले मामलों में (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता को छोड़कर)
5	श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र ठेलकाडीह (राजस्व तहसील राजनांदगाँव के अंतर्गत आने वाले 25 गाँव) से उत्पन्न होने वाले मामलों में (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता को छोड़कर)
6	कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	1. आरक्षी केन्द्र डोंगरगाँव एवं अजाक से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में। 2. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, राजनांदगाँव, पुलिस चौकी चिखली से धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी, 363, 376, 509 एवं धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों में।

7	कु. योगिता कुंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र छुरिया, पुलिस चौकी चिचोला एवं पुलिस चौकी जोब, गैदाटोला एवं बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामले को छोडकर) से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में
---	--	--

राजनांदगाँव.

दिनांक 20.01.2025

सही/-
(भूपत सिंह साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगाँव (छ.ग.)